भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 748
26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइलें

748. श्री सुधीर गुप्ता :

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारतीय सेना और वायु सेना के लिए बड़े पैमाने पर कंधे पर रखकर चलाये जाने वाले स्वदेशी वायु रक्षा प्रक्षेपास्त्र विकसित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रक्षेपास्त्र प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या डीआरडीओ ने इन स्वदेशी प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण पूरा कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(ङ.) भारतीय थल सेना और वायु सेना को ये प्रक्षेपास्त्र कब तक सौंपे जाएंगे; और

(च) क्या सरकार का सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने और घरेलू रक्षा उत्पादन में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) से (ङ.) : जी, नहीं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने बड़े पैमाने पर कंधे पर रखकर चलाए जाने वाला स्वदेशी वायु रक्षा प्रक्षेपास्त्र विकसित नहीं किया है। तथापि, डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल ट्राइपॉड द्वारा लॉंच की जाने वाली चौथी पीढ़ी की अत्यधिक कम रेंज की वायु रक्षा प्रक्षेपास्त्र प्रणाली (वीएसएचओआरएडीएस) विकसित की है। वीएसएचओआरएडीएस की प्रौद्योगिकियों एवं कतिपय उप-प्रणालियों का उपयोग कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले स्वदेशी वायु रक्षा प्रक्षेपास्त्र के विकास के लिए किया जा सकता है।

(च) : जी, हां। सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करने और घरेलू रक्षा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

- स्वदेशी स्रोतों के माध्यम से रक्षा उपस्करों के अर्जन में वृद्धि करने तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अर्जन प्रक्रिया (डीएपी 2020) प्रख्यापित की गई है।
- मेक-I, टीडीएफ और आईडेक्स परियोजनाओं के लिए सरकारी निधीयन की शुरूआत की गई है। डीआरडीओ द्वारा कार्यान्वित प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) स्कीम संघटकों, उत्पादों, प्रणालियों और एमएसएमई एवं स्टार्ट-अप्स की प्रौद्योगिकियाँ स्वदेशी विकास में सहायता करती है।
- रक्षा उपस्करों एवं प्लेटफार्मों की पांच 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ' जिनके लिए आयात पर प्रतिबंध होगा।
- डीआरडीओ के 'विकास सह-उत्पादन भागीदार' (डीसीपीपी) मॉडल को लागू किया गया है जिसमें प्रणाली विकास परियोजनाओं में उद्योगों को डीसीपीपी के रूप में शुरू किया गया है।
- डीआरडीओ की परीक्षण सुविधाओं को उद्योगों के उपयोग के लिए खोल दिया गया है । परीक्षण सुविधाओं को डीआरडीओ की वेबसाइट पर सूचीबद्ध किया गया है और इसकी सूचना उनको दे दी गई है। उद्योगों द्वारा इन परीक्षण सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है ।
- रक्षा और एयरोस्पेस से संबंधित मदों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की गई है ।
- उद्योगों, स्टार्ट अप्स और अकादमियों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास को 25 प्रतिशत रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के निर्धारण के साथ खोल दिया गया है। इसे विभिन्न मौजूदा योजनाओं के माध्यम से लागू किया जा रहा है और नई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।
- डीसीपीपी/पीए/एलएसआई से कोई प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) शुल्क वसूल नहीं किया जा रहा है।
- उद्योगों को डीआरडीओ पेटेंटों तक नि:शुल्क पहुँच प्रदान की गई है ।
- प्रणालियों की सूचियाँ जिन्हें केवल उद्योग द्वारा विकसित किया जाएगा, उन्हें डीआरडीओ द्वारा चिन्हित किया गया है । इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित किया गया है । डीआरडीओ ऐसी प्रणालियों को विकसित नहीं करेगा।
- लंबी वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण ।
- मेक प्रक्रिया का सरलीकरण, स्टार्ट अप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) वाली रक्षा उत्कृष्टता (आईडेक्स) स्कीम के लिए नवाचारों की शुरूआत करना।

- एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण को सुकर बनाने के लिए सृजन नामक एक स्वदेशीकरण पोर्टल की शुरूआत करना।

उपरोक्त नीतिगत सुधारों/पहलों और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर विशेष ध्यान देने के साथ पिछले दस वर्षों में सरकार द्वारा लागू की गई व्यापार करने की सुगमता के परिणामस्वरूप, देश ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1,26,887 करोड रुपये का रक्षा उत्पादन हासिल किया है जो पिछले वित्त वर्ष के रक्षा उत्पादन की तुलना में 16.7 प्रतिशत अधिक है।

*****